

प्रेषक,

निदेशक, पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश

सेवा में,

आहरण-वितरण अधिकारी/
जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक,
पंचायती राज निदेशालय, उ०प्र०।

आवंटन

अनुदान सं०-14

तेरह अंको का कोड-2515008000600

संख्या 1/शा०/ 61 /2021-1/12/2021 लखनऊ: दिनांक ०५ मार्च, 2022

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-14 के अधीन लेखाशीर्षक 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-800-अन्य व्यय-06-जिला पंचायत, अनुश्रवण कोष्ठक के अन्तर्गत व्यय हेतु धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपयुक्त विषयक अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या-33-3002/12/2021-3-320/33-सेल-2022 दिनांक 18.02.2022 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-14 के अन्तर्गत मानक मद-15 एवं 58 में पुनर्विनियोग के माध्यम से प्राप्त धनराशि रू०-5,00,000/- (रू० पांच लाख मात्र) निम्न शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन आवंटित की जाती है:-

- 1-वर्तमान में विधान सभा सामान्य निर्वाचन 2022 के आलोक्य में आदर्श चुनाव संहिता प्रभावी है। प्रश्नगत धनराशि के कोषागार से आहरण के पूर्व आदर्श चुनाव संहिता का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
- 2-आवंटित की जा रही धनराशि का व्यय किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।
- 3-धनराशि के आहरण एवं व्यय के सम्बन्ध में मितव्ययिता सम्बन्धी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
- 4-आकड़ों की शुद्धता एवं धनराशि की अनुमन्यता की पुष्टि आहरण एवं वितरण अधिकारी सुनिश्चित करेंगे।
- 5-वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी करने/धनराशि को नियंत्रक अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलॉटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ०प्र० बजट मैनुअल वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति प्राप्त कर ली जाये।
- 6-आवंटित धनराशि को आहरित कर पी०एल०ए०/डिपॉजिट खाते में जमा नहीं किया जायेगा।
- 7- निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय के संबंध में वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021 दिनांक 22.03.2020 में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 8-आवंटित धनराशि उसी कार्य हेतु व्यय की जायेगी, जिसके लिये इसका पुनर्विनियोग किया गया है। उक्त कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्य पर व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
- 9-निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय की सूचना प्रतिमाह रूप पत्र बी०एम०-13 पर लेखाशीर्षक/मदवार प्रत्येक माह की 20 तारीख तक अवष्य उपलब्ध कराया जायेगा। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से सम्बन्धित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।
- 10-इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-14 के अधीन लेखाशीर्षक 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-800-अन्य व्यय-06-जिला पंचायत, अनुश्रवण कोष्ठक के अन्तर्गत सुसंगत मानक मदों के नामे डाला जायेगा।
- 11-बी०एम०-4 पर बने सभी कालम अवश्य भरे जाय तथा विवरण में कोषागार वाउचर संख्या तथा दिनांक एवं धनराशि का उल्लेख अवश्य किया जाये।

1. कोषागार से आहरित धनराशि का मासिक विवरण बी0एम0-4 पर तथा कोषागार द्वारा उपलब्ध कराया गया रिक्तलिखित स्टेटमेंट आगामी माह की 05 तारीख तक अनिवार्य रूप से लेखा एवं बजट अनुभाग-1 को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
2. वर्ष 2021-22 में समर्पण यदि कोई हो तो उसका समर्पण दिनांक 20.03.2022 तक निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आहरण एवं वितरण अधिकारी जिम्मेदार होंगे।

प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या-101पर अंकित है।

संलग्नक उपरोक्तानुसार।

भवदीय
(अनुज कुमार झा)
निदेशक,
पंचायतीराज, उ0प्र0

संख्या: 1/शा0/ 61 /2021 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश।
2. अपर मुख्य सचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2 उ0प्र0 शासन।
3. महालेखाकार सी0पी0 सी0-2 उ0प्र0 प्रयागराज।
4. महालेखाकार लेखा एवं हकदारी प्रथम उ0प्र0, प्रयागराज।
5. वरिष्ठ उपमहालेखाकार/स्थानीय निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, 15-ए, महर्षि दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ0प्र0 प्रयागराज।
6. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. एस0पी0एम0यू0, पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आवंटन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

(ब्रजेश कुमार)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायतीराज, उ0प्र0।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2021-2022
आवंटन दिनांक-04/03/2022

प्रेषण संख्या:- 1-sha-61-2021
आवंटन आदेश संख्या:- 002-1-12-2021
अनुदान संख्या:- 14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)(वित्तीय वर्ष 2021-2022 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम(आयोजनेत्तर-मतदेय)
800 - अन्य व्यय
06 - जिला परिषद् अनुश्रवण कोष्ठक

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		1S-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	योग
	जवाहर भवन, लखनऊ-2287-निदेशक, पंचायती राज, उ०प्र०, लखनऊ-02-जिला पंचायत अनु० कोष्ठक	वर्तमान प्रगामी	200000 200000	300000 300000	500000 500000
	योग	वर्तमान प्रगामी	200000 200000	300000 300000	500000 500000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया पाँच लाख
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया पाँच लाख

7

(बृजेश कुमार)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी